न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 15/2022
दायर दिनांक :– 08.02.2022

अनवान

जीवण पिता धीसा मीणा नि. तलोदा तह. जहाजपुर

प्रार्थी..............

बनाम

1. रणजीत पिता भवाना मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर तहसील जहाजपुर
2. रामजीलाल पिता भवाना मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर तहसील जहाजपुर
3. धापू पत्नि भवाना मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर तहसील जहाजपुर
4. कमलेश पुत्री भवाना मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर तहसील जहाजपुर
5. कन्या पुत्री भवाना मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर तहसील जहाजपुर
6. सोहनी पत्नि मोतीलाल मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर तहसील जहाजपुर
7. तहसीलदार जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण..............

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी

:: आदेश :: दिनांक 17.05.2023

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम तलोदा पटवार हल्का बरोदा भू. अ. नि.क्षेत्र शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज की कृषि आराजी नम्बर 2/11 रकबा 0.4856 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के खाते मे दर्ज होकर उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 पेश है। ग्राम तलोदा पटवार हल्का बरोदा भू. अ. नि. क्षेत्र शक्करगढ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा राज की कृषि आराजी नम्बर 474/2 रकबा 6.11 बीघा (1.0603 हैक्टेयर) कृषि भूमि बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। एवं आराजी खसरा संख्या 2/33 रकबा 1.3759 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खाते मे दर्ज है। एवं आराजी खसरा संख्या 2/4 रकबा 0.2428 हैक्टेयर सिंचाई विभाग राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner

के खाते मे दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 पेश है। चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रार्थी अपने हक व हिस्सा पर काबिज काश्त है। तथा प्रार्थी अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि मे ग्राम तलोदा से भीम का खडा जाने वाले रेकोर्डेड दर्ज रास्ता से होकर आराजी नम्बर 474/2 की दक्षिणी मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर जो नजरी नक्शा मे लाल स्याही से वर्णित । से ठ रास्ता से होकर आराजी नम्बर 2/33 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर आराजी नम्बर 2/4 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर जो नजरी नक्शा ट्रेस मे बी से सी रास्ता जो 30 फीट चौडा रास्ता से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 2/11 मे आते जाते है व ट्रेक्टर, कृषि उपकरण वगेरा ले जाकर काश्त करते है उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। परन्तु आराजी खसरा संख्या 2/33 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 से 6 एवं आराजी खसरा संख्या 474/2 बिलानाम काबिल काश्त पर अतिक्रमियो ने कब्जा कर रास्ता को अवरुद्ध कर दिया जो नजरी नक्शा ट्रेस मे ए से बी व बी से सी रास्ता को अवरुद्ध कर बन्द कर दिया है, जिससे प्रार्थी अपने खाते की कृषि जमीन मे आ जा नही पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व अतिक्रमियो को वर्षो पूर्व चले आ रहे कदमी रास्ता को बन्द करने से मना किया तो लडाई झगडा करने पर आमदा हुये। प्रार्थी ग्राम तलोदा से भीम का खडा जाने वाले रेकोर्डेड दर्ज रास्ता से होकर आराजी नम्बर 474/2 की दक्षिणी मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर जो नजरी नक्शा मे लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता से होकर आराजी नम्बर 2/33 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर आराजी नम्बर 2/4 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर जो नजरी नक्शा ट्रेस मे बी से सी रास्ता जो 30 फीट चौडा रास्ता दर्शा रखा है को नक्शा ट्रेस मे तरमीम करवा रास्ता खुलासा करवाना चाहते है तथा ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। इसलिये प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित कृषि आराजीयात मे जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी व बी से सी भाग 30 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट मे तरमीम करवा, रास्ता किस्म दर्ज करवा, रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय सगंत है एवं आराजी नम्बर 474/2 बिलानाम कृषि भूमि से अतिक्रमियो को बेखदल कर रास्ता खुलासा किया जाना न्यायोचित है। नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है, जो प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है। इस रास्ता मे निकलने से अप्रार्थीगण बाधा न डाले, न अपने नोकर एजेन्ट रिश्तेदारों से रूकवाकर पैदा करे से पाबंद्ध किया जावे। प्रार्थीगण रास्ता मे उपयोग की जाने वाली भूमि की प्रतिफल राशि देने को तैयार है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने 1 फरवरी 2022 में कदमी समय से चले आ रहे रास्ता को अवरूद्ध करने से वाद हेतुक 1 फरवरी 2022 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित आराजी खसरा संख्या 2/11 मे आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु ग्राम तलोदा से भीम का खड़ा जाने वाले रेकोर्डेड दर्ज रास्ता से होकर आराजी नम्बर 474/2 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर जो नजरी नक्शा मे

उपखण्ड अधिकारी (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता से होकर आराजी नम्बर 2/33 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे, एवं आराजी नम्बर 2/4 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे जो नजरी नक्शा ट्रेस मे बी से सी रास्ता जो 30 फीट चौडा रास्ता को राजस्व रेकार्ड मे किस्म रास्ता दर्ज कर राजस्व अभिलेखो मे दर्ज करने का हुक्म प्रदान करावे व रास्ता की भूमि का प्रतिफल प्रार्थी न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर है एंव उक्त 30 फीट चौडा रास्ता राजस्व जमाबंदी व राजस्व लटठा सीट मे तरमीम कर रास्ता को खुलासा करने एवं आराजी नम्बर 474/2 बिलानाम काबिल काश्त से अतिक्रमियो को बेदखल कर रास्ता खुलासा करने का आदेश तहसीलदार, जहाजपुर को प्रदान करावे ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 3 से 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की और से श्री नारायण शर्मा एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया। व दिनांक 12.04.2023 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया।

प्रार्थी की आराजी न. 2/11 कुल किता 1 रकबा 0.4856 हैक्टैयर में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 20.03.2023 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 474/2 में से रास्ता देने पर 0.0526 हैक्टेयर, खसरा नं. 2/33 में से रास्ता देने पर 0.0404 हैक्टेयर, खसरा नं. 2/4 में से रास्ता देने पर 0.0121 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.1051 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया की प्रार्थी की जोत आ. न. 2/11 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी की जोत तक पहॅुचने हेतु लघुत्तम रास्ता आ.न. 474/2, 2/33, 2/4 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ. न. 2/11 में आने जाने हेतु ख. न. 474/2, 2/33, 2/4 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के आ. न. 2/11 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। और प्रार्थी की आ. न. 2/11 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 474/2, 2/33, 2/4 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहॅुचता है कि प्रार्थी की आ. न. 2/11 तक पहॅुचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2/11 में आने जाने के लिये आ. न. 474/2, 2/33, 2/4 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया

उपखण्ड अधिकारी

C:nirnay//rider

Scanned with CamScanner

जाता हैं। रास्ते हेतु खसरा नं. 474/2 में से रास्ता देने पर 0.0526 हैक्टेयर, खसरा नं. 2/33 में से रास्ता देने पर 0.0404 हैक्टेयर, खसरा नं. 2/4 में से रास्ता देने पर 0.0121 हैक्टेयर में से रास्ता देने पर कुल किता 3 रकबा 0.1051 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 474/2, 2/33, 2/4 में से अप्रार्थी सं. 1 से 6 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0404 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 21328– रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 से 6 (आ. न. 2/33 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। तथा आ. न. 474/2, 2/4 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0526 हैक्टेयर, 0.0121 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0647 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 34156 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

कमांक/रीडर/23/मु.न. 15/2022 दिनांक 17.05.2023

निमित,

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :– प्र. सं. 15/22 अनवान जीवण पिता घीसा मीणा नि. तलोदा बनाम रणजीत पिता भवाना मीणा, रामजीलाल पिता भवाना मीणा, धापू पत्नि भवाना मीणा, कमलेश पुत्री भवाना मीणा, कन्या पुत्री भवाना मीणा, सोहनी पत्नि मोतीलाल मीणा नि. नोलपुरा हाल मु. तलोदा खेत पर में रास्ता तरमीम करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम तलोदा प. ह. बरोदा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ. न. 2/11 में आने जाने के लिये आ. न. 474/2, 2/33, 2/4 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रास्ते हेतु खसरा नं. 474/2 में से रास्ता देने पर 0.0526 हैक्टेयर, खसरा नं. 2/33 में से रास्ता देने पर 0.0404 हैक्टेयर, खसरा नं. 2/4 में से रास्ता देने पर 0.0121 हैक्टेयर में से रास्ता देने पर कुल किता 3 रकबा 0.1051 हैक्टेयर भुमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 474/2, 2/33, 2/4 में से अप्रार्थी सं. 1 से 6 को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0404 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 21328– रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी अप्रार्थी सं. 1 से 6 (आ. न. 2/33 के खातेदार) को जमा/अदा करेंगे। तथा आ. न. 474/2, 2/4 में रास्ते से प्रभावित रकबा 0.0526 हैक्टेयर, 0.0121 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0647 हैक्टेयर की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 34156 रू. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थी राजकोष में जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

C : Tahsildar/km/RASTA 251 LETTER SS

Scanned with CamScanner